बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

ज्ञापांकः–01 / चौ0–90–16 / 2016 गृ0आ0................./भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

(1) **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(i) यह नियमावली "बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

(2) बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–5 के उपनियम–(7) के परंतुक के पश्चात् दो नये उपनियम, क्रमशः (8) एवं (9) निम्नवत् जोड़े जायेंगे, यथा :–

"**(8). परिचालनात्मक नियंत्रण।** – इस संवर्ग के सदस्यों पर परिचालनात्मक (Operational) नियंत्रण संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक का होगा। संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक इनके वेतनादि का भुगतान करेंगे, जिसके लिए उन्हें आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु अलग बजट शीर्ष सृजित किया जायेगा।

(9). अनुशासन। – कदाचार, अक्षमता अथवा कर्त्तव्य की अवहेलना आदि कारणों से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संवर्ग के कर्मियों के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानो के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी;

परंतु किसी पुलिस जिला में पदस्थापित इस संवर्ग के सदस्यों के विरूद्ध संबंधित पुलिस जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार निलंबन अथवा लघु दंड हेतु अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–1 / चौ0–90–16 / 2016 गृ0आ0...8229..... / पटना, दिनांक...1-10-....2019

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना / ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

(12)

ज्ञापांकः–1/चौ0–90–16/2016 गृ0आ0 8229 / पटना, दिनांक 01/10 2019

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक 27 /पी0–5

21–01–01–2019

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक :– 16.10.2019

प्रतिलिपिः–

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, एवं सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. वित्त शाखा/लेखा शाखा पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को अधिसूचना में निहित प्रावधान के आलोक में अग्रत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं कृत कार्रवाई से प्रशाखा पी05, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

16/X

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),

बिहार, पटना